संख्या–249 /VI-3 / 2022–21(5)2010

प्रेषक,

अभिनव कुमार,
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

JD

JD/DDD/AD

HA/JA

23.06.22

23.06.22

23/06/22

खेलकूद अनुभाग   देहरादून : दिनांक 22 जून, 2022

विषय– राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों, छात्रावासों एवं स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ियों को दिये जाने वाली खेल किट की धनराशि में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–256 / खेल किट पत्रा0 / 2022–23,दिनांक 13 मई, 2022 एवं शासनादेश संख्या–380 / VI / 2019–21(5)2010, दिनांक 28 जून, 2019 को तत्काल प्रभाव से अवक्रमित करते हुये, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खेलो में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, जनमानस का खेलों के प्रति रूझान बढ़ाने, खेल संस्कृति की अभिवृद्धि करने, खिलाड़ियों की प्रतिभागिता में वृद्धि करने, प्रदेश में अनुकूल खेल वातावरण सृजन करने, प्रदेश की खेल प्रतिस्पर्धाओं में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने तथा सृजित अवस्थापनाओं का उत्पादक उपयोग करने के उद्देश्य को संज्ञान में लेते हुये श्री राज्यपाल महोदय राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों, छात्रावासों एवं स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ियों को दिये जाने वाली खेल किट की धनराशि में "खेल नीति–2021" की अधिसूचना संख्या–938 / VI-3 / 2021–33(07)2014, दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 के प्राविधानानुसार वृद्धि करते हुये, **₹5000 / –** निम्नवत् दिशा–निर्देश के अनुरूप अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. किट का आशय यह है कि जब प्रदेश की टीम किसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये जाये तो मार्च पास्ट के समय उनकी अपनी पृथक पहचान हो। ऐसा प्रयास किया गया है कि खेल विशेष की किट (खेल विशेष से संबंधित) के सामान्य तौर पर वह वस्तुयें सम्मिलित हो जो सामान्यतः एक खिलाड़ी के लिये आवश्यक होती है।

2. प्रत्येक किट का अधिकतम निर्धारित मूल्य **₹5000 / –** होगा।

3. उक्त किट की सुविधा प्रत्येक खेल वर्ग में खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जायेगी और यह संख्या खेल फेडरेशन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेश राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु जारी गाईड लाईन्स में उल्लिखित संख्या के आधार पर प्रदान की जायेगी।

4. किट चार साइजों में स्माल, मीडियम, लार्ज तथा इक्स्ट्रा लार्ज साईजों में दिया जायेगा।

5. किट के क्रय हेतु विधिवत गर्वन्मेन्ट–ई–मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल का उपयोग कर किट की सामग्रियों का क्रय किया जाय अथवा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार यथावश्यक कार्यवाही की जाय।

6. उक्त किट की सुविधा शासनादेश निर्गत होने की तिथि से राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ियों पर लागू होगी। यह सुविधा उन सभी क्रीड़ा संघों को उपलब्ध करायी जायेगी, जो मान्यता प्राप्त होगें तथा उत्तराखण्ड राज्य की प्रख्यापित खेल नीति–2021 में सम्मिलित होंगे।

7. यह भी निर्णय लिया गया है कि ट्रैक सूट का कलर महिला एवं पुरूष खिलाड़ियों के लिये एक ही जैसा हो एवं ट्रैक सूट के पीछे उत्तराखण्ड तथा सामने दायी ओर प्रदेश सरकार अथवा खेल विभाग का मोनोग्राम अंकित हो, को निदेशालय द्वारा शासन के अनुमोदनोंपरान्त राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ियों को ट्रैक सूट वितरित किया जायेगा। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

8. खेल किट की धनराशि हेतु उक्त मद में होना वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–11 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–104 खेलकूद–11 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ियों हेतु किट की व्यवस्था अनुदान–56–सहायक अनुदान (गैर सामान्य वेतन) मद, छात्रावास के खिलाड़ियों के किट पर होने वाले व्यय का भुगतान सम्बन्धित जिला योजना के आवासीय कीड़ा छात्रावास का संचालन (42–अन्य विभागीय व्यय मद) तथा स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ियों को दिये जाने वाली खेल किट पर होने वाले व्यय का भुगतान आय–व्ययक अनुदान संख्या–11 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–104 खेलकूद–13–स्पोर्ट्स कॉलेज को अनुदान–56–सहायक अनुदान (गैर सामान्य वेतन) के सुसंगत मद के नामें डाला जायेगा।

9. यह शासनादेश वित्त विभाग के ई–ऑफिस आई0डी0संख्या–I/43333/2022, दिनांक 16 जून, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अभिनव कुमार)
विशेष प्रमुख सचिव।

संख्या– / VI-3 / 2022–21(5)2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून।
8. समस्त जिला कीड़ा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय–नियत्रंण अनुभाग–3), उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गिरधारी सिंह रावत)
अपर सचिव।